

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या: 2343/VII-1/2018/149 ख/01
देहरादून, दिनांक: 17 नवम्बर, 2018
दिसम्बर
कार्यालय ज्ञाप

जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम नायल में कुल 8.490 है० भूमि में उप खनिज सोपस्टोन का खनन पट्टा चाहने हेतु श्री कान्ती लाल साह पुत्र श्री गिरधारी लाल साह, निवासी पिण्डारी रोड बागेश्वर, तहसील व जनपद बागेश्वर के आवेदन पत्र दिनांक 19.4.2016 के क्रम में इस आशय पत्र (letter of Intent) के माध्यम से राज्य सरकार श्री कान्ती लाल साह पुत्र श्री गिरधारी लाल साह, निवासी पिण्डारी रोड बागेश्वर, तहसील व जनपद बागेश्वर के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम नायल में 8.490 है० भूमि में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 (यथासंशोधित, 2017) के प्रावधानानुसार उपखनिज सोपस्टोन का 50 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत करने की मंशा रखती है। आवेदक यदि उक्त खनन पट्टा लेने हेतु सहमत हों तो निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन पत्र प्राप्ति के छः माह में प्रस्तुत करें, जिससे खनन पट्टे की औपचारिक स्वीकृति जारी की जा सके :-

1. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, यथासंशोधित, 2017 के नियमों/प्रतिबन्धों पर लिखित सहमति पत्र।
2. उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रस्तर 3(दो)(5) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनन योजना संबंधित खान अधिकारी/उप निदेशक (खनन) के समक्ष ₹ 20,000/-की धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराने के उपरान्त चालान की प्रति के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
3. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रस्तर-3(ग्यारह) में शासनादेश संख्या-1589/VII-1/2015/68-ख/2015, दिनांक 7 अक्टूबर 2015 के द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार, बैंक गारन्टी ₹ 1.00 लाख मैनुअल माईनिंग एवं ₹ 2.00 लाख मशीनीकृत माईनिंग हेतु निदेशक के पक्ष में प्रस्तुत करनी होगी।
4. उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रस्तर-7 के अनुसार पट्टाधारक को खनन पट्टे में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का0आ0 2601 (अ) दिनांक 07 अक्टूबर 2014 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-1621/VII-1/212-ख/2014, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
5. उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रस्तर-8 के अनुसार आवेदक को प्रतिभूति धनराशि ₹ 10,000/- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में बन्धक करना होगा।
6. आवेदक को खनन पट्टे का जी०एस०टी० नम्बर देना अनिवार्य होगा।
7. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि 0.056 है० भूमि में खनन कार्य निषिद्ध रहेगा।
8. आवेदित क्षेत्रान्तर्गत उपलब्ध वृक्षों की सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा।
9. आवेदक खनन कार्य के दौरान स्थल में उपलब्ध सार्वजनिक सम्पत्ति, आवासीय भवन, सार्वजनिक स्थल भवन आदि को हानि नहीं पहुँचायेगा। हानि पहुँचाने की स्थिति में पट्टाधारक स्वयं जिम्मेदार होगा।
10. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1457/VII-1/2017/68-ख/15, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 के बिन्दु सं० 6(तीन)(क)(2) के अनुसार आशय पत्र की समस्त शर्तों को पूर्ण किये जाने के पश्चात् निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की स्पष्ट संस्तुति पर शासन द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा, परन्तु पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य का प्रारम्भ संबंधित भू-स्वामियों की सहमति/अनापत्ति के उपरान्त ही किया जायेगा।
11. आवेदक को खनन एवं राजकीय बकाया न होने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अद्यतन अदेयता प्रमाण-पत्र तथा चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. आवेदक को आयकर/आयकर विवरणी जमा करा दिये जाने के संबंध में आयकर अधिकारी का अद्यतन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आयकर देय नहीं हो तो इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. आवेदक द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

बृजेश कुमार सन्त
अपर सचिव

संख्या: 2343 (1)/VII-1/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या-823/मुख०/87/सोपस्टोन/बागे०/भू०खनि०ई०/2016-17, दिनांक 10 जुलाई, 2018 एवं अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-1479/मुख०/87/सोपस्टोन/बागे०/भू०खनि०ई०/2016-17, दिनांक 22 सितम्बर, 2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।।
3. श्री कान्ती लाल साह पुत्र श्री गिरधारी लाल साह, निवासी पिण्डारी रोड बागेश्वर, तहसील व जनपद बागेश्वर।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौकली)
संयुक्त सचिव